न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.08.2022	01.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री नवरतन साहू पुत्र श्री बिरधी चन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक निवासी कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक
2–श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री शान्ति लाल प्रोपरायटर मैसर्स अंकित ट्रेडर्स जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक निवासी जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
3–श्री नरेन्द्र सेठिया पुत्र श्री रामस्वरूप सेठिया प्रोपरायटर मैसर्स विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खैरी रोड बागौर जिला भीलवाडा राज. निवासी सदर बाजार बागौर जिला भीलवाडा राज.

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 01.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2022 को समय 01:19 पीएम पर मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री नवरतन साहू पुत्र श्री बिरधी चन्द साहू मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नवरतन साहू ने स्वयं को मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **नमकीन लक्ष्मी गोल्ड ब्राण्ड (Namkeen Laxmi Gold Brand)** दुकान की रैक में 500–500 ग्राम के 78 नग पॉली पैक आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री नवरतन साहू को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नवरतन साहू व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन लक्ष्मी गोल्ड ब्राण्ड (Namkeen Laxmi Gold Brand)** जिसके बैच नं. पी–आई–एल एवं पैकिंग की दिनांक 21.02.2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 नग कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन लक्ष्मी गोल्ड ब्राण्ड (Namkeen Laxmi Gold Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3168 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3168 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री नवरतन साहू पुत्र श्री बिरधी चन्द साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स महेश किराणा स्टोर कल्याणपुरा चौराहा बावडी तह. टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स अंकित ट्रेडर्स जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 1049 दिनांक 12.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. / 1648 / एक्ट / 2022 / 1643 दिनांक 28.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन लक्ष्मी गोल्ड ब्राण्ड (Namkeen Laxmi Gold Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(B)(ii) एवं 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

वारंटी व निर्माता होने के कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स अंकित ट्रेडर्स जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज व मैसर्स विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खैरी रोड बागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिला भीलवाडा का वारंटी बिल प्रस्तुत किया। वारंटी व निर्माता होने के कारण आवेदक ने प्रबंधक विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खैरी रोड बागौर जिला भीलवाडा को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज, खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन लक्ष्मी गोल्ड ब्राण्ड (Namkeen Laxmi Gold Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन लक्ष्मी गोल्ड ब्राण्ड (Namkeen Laxmi Gold Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 15,000/-(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0